Title: Regarding Central Government's decision of including Bodo language in the Eighth Schedule of the Constitution.

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : महोदय, केन्द्र सरकार ने बोडो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संसद में एक बिल प्रस्तुत कर दिया है, किन्तु हमारा कहना यह है कि संथाली भाषा, मुंडा भाषा, हो भाषा और उरांव भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। सरकार ने पहले कहा कि एक हाई पावर बाडी बना कर, एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा और उसके बाद भाषाओं की मान्यता के प्रश्न का समाधान निकाला जाएगा, किन्तु बगैर क्राइटेरिया और हाई पावर बाडी बनाए उन्होंने बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला लिया है, जो गलत है।

महोदय, संथाली भाषा को संविधान में मान्यता देने के लिए बंगाल की असेम्बली ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेज दिया है, किन्तु तब भी इस पर विचार नहीं हो रहा है। संथाली भाषा बोलने वालों की संख्या सौ लाख से ज्यादा है, जब कि बोडो भाषाभाषियों की आबादी लगभग दस लाख है। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि 15 नवम्बर, 2003 को भारत के प्रधान मंत्री जी रांची जाकर संथाली भाषा को संविधान में मान्यता प्रदान करने की घोषणा करेंगे, किन्तु यह भी गलत साबित हो रहा है।

सभापति महोदय : श्री विजयन जी, आप बोलिए। मुर्मू जी, अब आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

*Not Recorded.